Nb|1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (जिला पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : **34/2015**

वादीगणः– बनाम प्रतिवादी :–

1–अर्जुनसिंह पुत्र गायडसिंह
2–रसालकंवर बेवा धनसिंह
3–संतोषकंवर पत्नि कल्याणसिंह
कौम–राजपूत, निवासी–पीपाड़ा
तहसील–जैतारण, जिला–पाली, (राज.)

1– राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण
तह.–जैतारण,जिला–पाली,(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 **तारीख रजू:.30/03/2015**

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 16/06/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा–पीपाड़ा, पटवार मण्डल–फालका, तहसील–जैतारण में वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 203 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा की आई हुई हैं। जिसकी नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेश वादी–पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण की जमीन खसरा नम्बर 162 एवं खसरा नम्बर 203 के बीच में रास्ता खसरा नम्बर 202 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा का चला आ रहा है। मौके पर खातेदारी जमीन के बीच में रास्ता नहीं है और वादीगण की जमीन खसरा नम्बर 162 एवं 203 के बीच का कोई रास्ता नही हैं। सैटलमेंट विभाग ने पेमाईश करते वक्त सेवन से रास्ता दर्ज किया गया था। खसरा नम्बर 203 रकबा 99 बीघा 05 बिस्वा मूल रकबा वादीगण का है और प्रतिवादी तहसीलदार ने कहा कि खसरा नम्बर 203 में से 2 बीघा जो रास्ता आपके खातेदारी के बीच में आई हुई हैं। उसका इस्तीफा दे दो तो खसरा नम्बर 202 रकबा 2 बीघा को आपके खातेदारी में दर्ज कर देंगे। प्रतिवादी तहसीलदार के कहे अनुसार वादीगण ने खसरा नम्बर 203 रकबा 2 बीघा का इस्तीफा दे दिया था जिसका इन्द्राज जमाबन्दी में जरिये नामान्तरकरण संख्या 296 के अनुसार हो गया था। खसरा नम्बर 203 का मूल रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा के बाद खसरा नम्बर 203 में 7 बीघा 05 बिस्वा वादीगण के खाते में रह गई। प्रतिवादी तहसीलदार को कई बार कहा की खसरा नम्बर 202 में से 2 बीघा जमीन वादीगण के नाम से कर देवे। वादी तहसीलदार को बार बार आग्रह करने के बावजूद भी वादीगण को खसरा नम्बर 202 का खातेदार नहीं बना रहा है। नामान्तरकरण संख्या 296 से स्पष्ट हो जावेगा कि वादीगण ने अपने खाते में 2 बीघा दर्ज कराने के लिये इस्तीफा दिया था। नकल नामान्तरकरण संख्या 296 की साथ पेश है। वादीगण ने खसरा नम्बर 203 में 2 बीघा जमीन रास्ते के लिए किनारे किनारे रास्ता दे दिया था और सेटलमेंट से पहले से यह रास्ता कदिमी से चलता आ रहा हैं। नक्शे में रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। आज भी मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 203 की माठ के पास ही गुजरता हैं। खसरा नम्बर 162 एवं 203 के बीच कोई रास्ता नही है। वादीगण की खातेदारी जमीन में से 2 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

का इस्तीफा देने पर शेष जमीन 7 बीघा 5 बिस्वा ही रही है। जबकि रास्ते की जमीन खसरा नम्बर 202 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा में से कम किया जाकर 2 बीघा वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना है, जिससे वादीगण के खसरा नम्बर 203 का रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 202 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा में से 2 बीघा कम कर रास्ते की जमीन 09 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 203/1 रकबा 2 बीघा रास्ता का कुल रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा हो जावेगा। सरकारी जमीन को अपने हिस्से में दर्ज कराने का कोई गलत प्रयास नही किया गया था। नामान्तकरण संख्या 296 के भरे जाने के बाद यह मान लिया गया कि रास्ते की जमीन वादीगण के हिस्से में कर दी गई है। पटवारी से जमाबंदी की नकले लेने दिनांक 02/01/2015 को पहुचे तो ज्ञात हुआ कि खसरा नम्बर 202 के रास्ते की जमीन वादीगण के खाते में दर्ज नहीं हुई है। तहसीलदार जैतारण से मिले तो उन्होनें ने निर्देशित किया कि आपने न्यायालय आदेश प्राप्त होने पर ही रास्ता आपके खाते में दर्ज हो सकता है। बिनाय वाद दिनांक 04/01/2015 को वादीगण ने प्रतिवादी को अपने नाम खसरा नम्बर 202 रकबा 11-06 बीघा में से 2 बीघा भूमि के नाम दर्ज करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट इन्कार होने पर बमुकाम-पीपाड़ा तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) में उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में होने से अन्दर म्याद वाद श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फालका में पेश हुई। प्रतिवादी तहसीलदार उपस्थित / तहसीलदार ने जाहिर किया कि राजस्व अभिलेख में ख.नं. 202 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा रास्ता दर्ज हैं। रास्ते के भूमि में खातेदारी नहीं दी जा सकती हैं। सैटलमेन्ट के दर्ज रास्ते की भूमि में वादी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। दावा खारिज फरमावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबंदी में ख.नं. 202 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा रास्ता दर्ज हैं। रास्ते की भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता हैं। वादी का दावा खारिज किया जाना उचित समझते हैं। डिक्री पर्चा बनाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भंडार जमा हों।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के इस अमर की सादिर की जाती है कि जमाबंदी में ख.नं. 202 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा रास्ता दर्ज हैं। रास्ते की भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता हैं। लिहाजा वादी का वाद खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 16/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फालका में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

AC|1

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण:-	बनाम	प्रतिवादी :-
1-अर्जुनसिंह पुत्र गायडसिंह		1- राजस्थान सरकार जरिए
2-रसालकंवर बेवा धनसिंह		तहसीलदार, जैतारण
3-संतोषकंवर पत्नि कल्याणसिंह		तह.-जैतारण,जिला-पाली,(राज.)
कौम-राजपूत, निवासी-पीपाड़ा		
तहसील-जैतारण, जिला-पाली, (राज.)		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 — मु0न0 :रा0वा0 स0:34/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-......... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के इस अमर की सादिर की जाती है कि जमाबंदी में ख.नं. 202 रकबा 01 बीघा 6 बिस्वा रास्ता दर्ज हैं। रास्ते की भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता हैं। लिहाजा वादी का वाद खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01 - 00	स्टाम्प वकालतनामा	/
स्टाम्प वकालतनामा	01 - 00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	03 - 00	महनताना वकील	
महनताना वकील	- -	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	02 - 00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान:-	07 - 00	मिजान:-	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner